

21.05.2012

**माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक**

श्री एल एल गुसा, अधिवक्ता अपीलार्थी

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी संख्या- 3 की तामील को अभिमुक्त (dispensed with) किये जाने हेतु प्रार्थना की है।

विद्वान अधिवक्ता की उक्त प्रार्थना स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 की तामील अपीलार्थी की प्रार्थना व जोखिम पर अभिमुक्त (dispensed with) की जाती है।

प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 4 को अपील के नये सिरे से नोटिस जारी किये जावे।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को उक्त प्रत्यर्थी के तलवाना व सही नोटिस प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है। यदि अपीलार्थी द्वारा उक्त अवधि में पेश नहीं किये जाते हैं तो यह अपील इस न्यायालय को संदर्भित किये बिना स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।

**(न्या० मोहम्मद रफीक)**

**बीएलजैन**

All corrections made in the judgement/order have been incorporated in the judgement/order being emailed.

B.L. Jain, PS